

संख्या-433253/नौ-4-2023-कम्प्यूटर नं0 1748899

प्रेषक,

अजय कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक १३ नवम्बर, 2023

विषय- आकांक्षी नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत कुल धनराशि रूपये 100.00 करोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, अजीविका तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 100.00 करोड (रू0 सौ करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी।
- (2) इस संबंध में शासनादेश संख्या-396710/नौ-4-2023-कम्प्यूटर नं0 1745384, दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से आकांक्षी नगर योजना की गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि संबंधित निकाय (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यों हेतु व्यय की जायेगी ।
- (4) पी0एम0यू0 की स्थापना, निदेशक, स्थानीय निकाय के स्तर पर डैशबोर्ड, आईईसी गतिविधियों तथा ए0 एण्ड ओ0ई0 मद के लिये वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित की जायेगी ।
- (5) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / निकाय का होगा।
- (6) धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (7) प्रश्रगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा

- सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जाये।
- (8) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड" पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- (12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (13) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारी का होगा।
- (14) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
- (15) प्रश्नगत धनराशि विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिस मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उस मामले में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद के नाम में डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-ई-9-269-X-2023-24, दिनांक 23 नवम्बर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय कुमार पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

Signed by अजय कुमार

पाण्डेय

Date: 23-11-2023 17:42:06

Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित जिलाधिकारी/अधिसासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
9. सहायक निदेशक (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(अजय कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-23/11/2023

प्रेषण संख्या:- 433253
आवंटन आदेश संख्या:- 001-433253-9-4-2023-CN-1748899
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
12 - आकांक्षी नगर योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2877-निदेशक - स्थानीय निकाय, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1000000000 1000000000	1000000000 1000000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1000000000 1000000000	1000000000 1000000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव